

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी—श्री समदरसिंह भाटी, आर.ए.एस

क्रमांक रीडर/2023/ 1225

दिनांक - 5/4/2023

प्रार्थी

बनाम

अप्रार्थीगण

सन्तोकाराम पुत्र हराराम जाति माली निवासी अलाणियों की ढाणी, बान्दरा, कवास तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर।

1 भूरसिंह 2 नगसिंह पिसरान रूगनाथसिंह 3 अन्नेकंवर पत्नी लालसिंह 4 केकूकंवर पत्नी रावतसिंह 5 भारूसिंह पुत्र रावतसिंह 6 चन्दनसिंह 7 प्रेमसिंह पिसरान बुलीदानसिंह 8 देवीसिंह पुत्र गोविन्दसिंह 9 स्वरूपसिंह 10 खंगारसिंह 11 तनसिंह पिसरान लालसिंह 12 बांकसिंह 13 तनसिंह 14 भगसिंह 15 गुलाबसिंह पिसरान रावतसिंह 16 रसालकंवर पत्नी गोविन्दसिंह जाति राजपूत निवास अलाणियों की ढाणी, बान्दरा, कवास 17 विरमाराम 18 नानगाराम 19 मिसराराम पिसरान भंवराराम 20 भेराराम पुत्र पोकराराम जाति माली 21 रतनसिंह 22 किशनसिंह पिसरान सगतसिंह 23 चन्दकंवर पत्नी उम्मेदसिंह 24 उगमसिंह पुत्र रूपसिंह जाति राजपूत निवासी सरका पार 25 गंगाराम पुत्र ताराराम 26 लीलादेवी पत्नी ताराराम 27 सागाराम पुत्र डूंगराराम जाति सुथार निवासी अलाणियों की ढाणी, बान्दरा, कवास तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत राजस्व आवेदन संख्या :- 06/2023

दिनांक- 04/04/23

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा अलाणियों की ढाणी पटवार क्षेत्र बान्दरा तहसील बाड़मेर ग्रामीण व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 1037/682 रकबा 2.6143 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1160/682 रकबा 0.0728, खसरा संख्या 681 रकबा 0.0324 हैक्टेयर, खसरा संख्या 916/682 रकबा 11.7601 हैक्टेयर व खसरा संख्या 918/682 रकबा 1.6349 हैक्टेयर कुल रकबा 16.1145 हैक्टेयर भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नहीं करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(समदरसिंह भाटी)
उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

क्रमांक :- रीडर/2023/ 1225-28

दिनांक- 05/4/2023

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी बान्दरा तहसील बाड़मेर ग्रामीण को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. सन्तोकाराम पुत्र हराराम जाति माली निवासी अलाणियों की ढाणी, बान्दरा, कवास तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी भूरसिंह पुत्र रूगनाथसिंह वगैरह जाति राजपूत निवास अलाणियों की ढाणी, बान्दरा, कवास तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर।

(समदरसिंह भाटी)
उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर